उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
सेक्टर–16ए, हॉल नं0–एस–1, वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा
गाजियाबाद

सर्वोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS
SQMS

पत्र सं0– 10543 /स0प्र0 गाजि0/ दिनांक– 20/9/14

सेवा में,

मैसर्स प्रतीक रियलटर्स प्रा0लि0
पता–प्रतीक प्रो–मेन्ज ए–42, सेक्टर–67,
नोएडा गौतमबुद्धनगर।

विषयः– **सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्थित बल्क सेल भूखण्ड संख्या–4/बी0एस0–1 एवं 4/बी0एस0–5 के विरूद्ध बन्धक रखने हेतु आवंटियो को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 7.9.2014 का सन्दर्भ लेने का कृष्ट करें जिसके द्वारा आपने पक्ष में सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के अर्न्तगत आवंटित बल्क सेल भूखण्ड संख्या–4/बी0एस0–1 एवं 4/बी0एस0–5 के विरूद्ध निर्मित फ्लैटो के आवंटियो को ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया है। आपके अनुरोध पर सन्दर्भित भूखण्डों में परिषद द्वारा पास किये गये नक्शे के अनुसार निर्मित किये गये फ्लैटो के आवंटियो को राष्ट्रीयकृत बैंक/रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत संस्थानो के पक्ष में बन्धक रखने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की है।

1 परिषद द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार एवं अन्य नियम व शर्ते जो भी लीज डीड / प्रदेशन पत्र में अंकित अनुपालन के अधीन ही जारी की जायेगी।

2 ऋणदायी संस्था जिसके पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वह रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एवं नेशनल हाउसिग बैंक से अधिकृत होनी आवश्यक है।

3 भूखण्ड पर निर्मित फ्लैटो का प्रथम प्रभार आवास विकास परिषद का एवं ऋणदायी संस्था का द्वितीय प्रभार होगा।

4 भूखण्ड पर निर्मित फ्लैटो के आवंटियो को परिषद द्वारा निष्पादित लीज अनुबन्ध एवं प्रदेशन पत्र की शर्तो का अनुपालन करना होगा एवं देय किश्तो का भुगतान समयार्न्तगत किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

5 भूखण्ड पर निर्मित फ्लैटो के आवंटियो के पक्ष में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/ऋणदायी संस्थाओ की सूचना परिषद को भी देनी होगी एवं सब लीज की अनुमति परिषद से प्राप्त करनी होगी।

6 भूखण्ड पर निर्मित फ्लैटो के आवंटियो के पक्ष में सब लीज करने से पूर्व परिषद से आवंटित भूखण्ड की लीज डीड पूर्ण भुगतान के उपरान्त करायी जानी आवश्यक होगी।

7 भूखण्ड पर निर्मित फ्लैट के आवंटियो, ऋणदायी संस्था एवं मैसर्स प्रतीत रियलटर्स प्रा0लि0 के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में परिषद को पक्षकार नहीं बनाया जा सकेगा।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद